कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.एचआरएम-II/डी-1(10)2023/ इंजीनियरिंग विंग/ ई456954/पीटी/ई-1235124/14920 दिनांक:-12.01.2026

<u>नियुक्ति का प्रस्ताव</u>

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर श्री हरवंश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) मध्य रेलवे का कार्यालय, मुंबई, सीएसएमटी की नियुक्ति।

क.भ.नि.सं में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर चयन के लिए गठित सर्च-कम-सिलेक्शन समिति की सिफारिश के आधार पर, **श्री हरवंश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) मध्य रेलवे का कार्यालय, मुंबई, सीएसएमटी** को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर लेवल-6 पे मैट्रिक्स [पे बैंड-2 (5500–175–9000) ग्रेड पे ₹ 4200/- (पूर्व-संशोधित)] में प्रतिनियुक्ति के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं: -

i) प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-एस्टी./(पे II), दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-एस्टी. (पे II) और समय-समय पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुदेशों / ज्ञापन द्वारा शासित होंगी।

ii) अधिकारी की तैनाती कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के रूप में मुख्यालय, नई दिल्ली में होगी। हालांकि, प्रशासनिक आधार पर अधिकारी का स्थानांतरण क.भ.नि.सं के किसी अन्य कार्यालय में किया जा सकता है।

iii) नियुक्ति आदेश अधिकारी के नियुक्ति के प्रस्ताव में उल्लिखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के साथ-साथ नवीनतम सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।

iv) यदि चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष पूरे होने से पहले प्रत्यावर्तन चाहता है, तो प्रत्यावर्तन पर कोई स्थानांतरण टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि अधिकारी एक वर्ष या उससे कम समय के भीतर प्रत्यावर्तन चाहता है, तो पहले से भुगतान किए गए स्थानांतरण टीए/डीए, यदि कोई हो तो उसकी वसूली की जाएगी ।

v) अधिकारी नियमानुसार टीए/डीए और नियुक्ति समय का पात्र होगा।

vi) पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने की तारीख को कार्यमुक्त माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने अपेक्षित अनुमोदनों के साथ, इसकी समाप्ति की तारीख से पहले, लिखित रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ाई हो।

vii) अधिकारी के किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की स्थिति में, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल होगा कि अनधिकृत रूप से निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की अवधि को पेंशन के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा और अनधिकृत रूप से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि, उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में संचयी प्रभाव से वापस आ जाता है ।

3. यदि उपर्युक्त नियम और शर्तें श्री हरवंश कुमार मीना, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को स्वीकार्य हैं, तो वे इस नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर उचित माध्यम से नवीनतम सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपनी लिखित सहमति इस कार्यालय को भेज सकते हैं।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

(अजय के मेहरा)
अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (भर्ती)

प्रति,

श्री हरवंश कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल),

(माध्यम: श्री पी.टी. नायक, उप सीपीओ (निर्माण) का कार्यालय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) नया प्रशासनिक भवन, दादाभाई नौरोजी रोड, मध्य रेलवे, मुंबई, सीएसएमटी,)

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.सं वेबसाइट के माध्यम से)

1. केंभनिआ के निजी सचिव ।
2. वि.सलाहकार एवं मु.ले.अ./मु.स.अ./सभी अकेआ (मुख्यालय)/निदेशक, पीडीनास के निजी सचिव,
3. मुख्य अभियंता/सीआईएसओ।
4. मुख्यालय सहित सभी अपर केभनिआ ।
5. मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी प्रभारी- क्षेभनिआ।
6. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल / सभी आं.प्र.संस्थान
7. क्षेभनिआ (एनडीसी) को आदेश को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए ।
8. महासचिव, ईपीएफ अधिकारी संघ, लुधियाना।
9. महासचिव, एआईईपीएफएसएफ, चेन्नई।
10. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

दीपक आर्य

(दीपक आर्य)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (भर्ती)